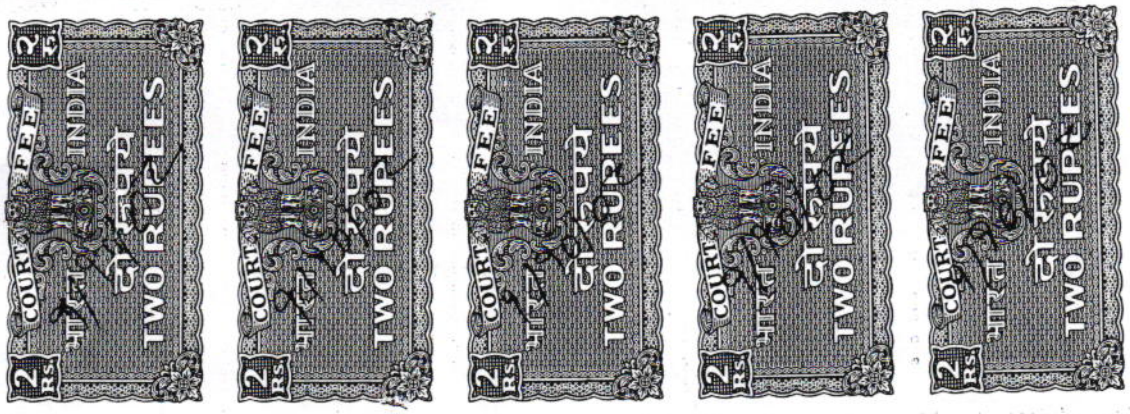

69

C-F8) 151

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2008 निगरानी

R 1219-IV/08

श्री एस० के० अवस्थी एडवोकेट द्वारा आज दि० 1-10-08

१। सुनैरसिंह पुत्र श्री मेवलदास वाधवानी
चिकित्सक

२। विनोदकुमार पुत्र श्री सुनैरसिंह वाधवानी
दोनों निवासीगण नीमताल, तहसील
व जिला विदिशा, म०प्र० ---

प्रार्थीगण

विरुद्ध

१। सनमान सिंह पुत्र श्री खुशीलाल कुशवाह
निवासी चौपड़ा, तहसील व जिला विदिशा

मृत २। छोटेलाल पुत्र श्री खुशीलाल कुशवाह
निवासी रायपुरा मोहल्ला, तहसील व
जिला विदिशा, म०प्र०

३। बृजेशकुमार पुत्र श्री मूलचन्द यादव
निवासी बर्रईपुरा, श्री रामनगर,
तहसील व जिला विदिशा, म०प्र०

मृत ४। घनश्याम पुत्र श्री खुशीलाल कुशवाह
निवासी रायपुरा मोहल्ला, तहसील
व जिला विदिशा, म०प्र०

५। रमेश पुत्र स्वर्गीय श्री शंकर सिंह कुशवाह

६। भूपेन्द्र पुत्र स्वर्गीय श्री शंकर सिंह कुशवाह

७। वीरेन्द्र पुत्र स्वर्गीय श्री शंकरसिंह कुशवाह

८। रामबाई बेवा स्वर्गीय श्री शंकरसिंह कुशवाह
सभी निवासीगण चौपड़ापुरा अंदर
तहसील व जिला विदिशा, म०प्र० -----

प्रतिप्रार्थीगण

Xxxix(a)-BR(H)-11 राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक 1219–चार–2008 जिला विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों अभि.के हस्ता
14-3-16	प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। आवेदकगण के अभिभाषक ने आवेदन दिनांक 8–10–15 प्रस्तुत कर अनावेदक क–2 राजेश पुत्र छोटेलाल एंव अनावेदक कमांक 4 घनश्याम पुत्र खुशीलाल की मृत्यु होना बताते हुये उसके वारिसान को रिकार्ड पर लेने की प्रार्थना की । अनावेदकगण के अभिभाषक ने बताया कि उक्त अनावेदकगण की मृत्यु वर्ष 2009 मे हुई है इसलिये निगरानी प्रचलनशील नहीं है। 2/ अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि आवेदकगण के अभिभाषक ने आवेदन दिनांक 8–10–15 प्रस्तुत कर मृतक के वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने की प्रार्थना अवश्य की है परन्तु उनके व्दारा मृतकों के मृत्यु प्रमाण पत्र पुष्टिकरण में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं इसी प्रकार आवेदन के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा आवेदन में यह भी नहीं बताया है कि उक्त दोनों अनावेदकों की मृत्यु दिनांक क्या है। स्पष्ट है कि आवेदकगण व्दारा अनावेदकगण की मृत्यु के वाद निर्धारित समयावधि में मृतकों के वारिसान को रिकार्ड पर लेने हेतु आवेदन नहीं दिया है जिसके कारण प्रचलित निगरानी अवेट हो चुकी है। 3/ उक्त कारणों से प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश की प्रति सहित वापिस किया जाय। सदस्य	